

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3051**

**31 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए**

**सेल की भूमि**

**3051. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के पास उपलब्ध अप्रयुक्त भूमि का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सेल ने अपने द्वारा अधिग्रहित भूमि को हाल ही में किसी अन्य प्राधिकरण या एजेंसी को हस्तांतरित किया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे सेल द्वारा कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री**

**(श्री विष्णु देव साय)**

(क): वर्तमान में सेल संयंत्रों के अधिकार क्षेत्र में कोई अधिशेष भूमि नहीं है क्योंकि वर्तमान में अप्रयुक्त भूमि भावी उपयोगिता/विस्तार परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई है।

(ख) और (ग): विगत तीन वर्षों के दौरान, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन लगाने के लिए ओडिशा सरकार को राउरकेला में 0.325 एकड़ के मापन की भूमि खण्ड को वापस किया गया है। भूमि अधिग्रहण लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में अर्जित राजस्व केवल 130 रुपए है।

\*\*\*\*\*